संख्या-87/2022/ 817/2255442(1)/12-5002(003)/2/2022

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उत्तर प्रदेश,

कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 08 दिसम्बर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत संचालित परम्परागत कृषि विकास योजना हेतु राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/पी०के०वी०वाई०/289/2022-23, दिनांक 11.11.2022 एवं पत्र संख्या-भू0सं0/बाढ़ो0यो0/301/जैविक खेती/2022-23, दिनांक 23.11.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाषीर्शक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 102-मृदा संरक्षण, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8907-नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योंजना के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित परम्परागत कृषि विकास योजना के सामान्य घटक हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मद 04-यात्रा व्यय में रू० 0.500 लाख, 08-कार्यालय व्यय में रू० 3.500 लाख, 11-लेखन सामग्री में रू० 3.500 लाख, 15-गाड़ी अनुरक्षण में रू० 6.220 लाख, 27-सब्सिडी में रू० 841.420 लाख, 42-अन्य व्यय में रू० 361.418 लाख, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य में रू० 71.765 लाख, 46-कम्प्यूटर क्रय में रू० 0.900 लाख, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण में रू० 6.100 लाख एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवायें हेतु भुगतान में रू० 4.700 लाख, कुल धनराशि रू० 1300.023 लाख (रूपये तेरह करोड़ दो हजार तीन सौ मात्र) राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है :-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पश्चात विभाग द्वारा यह निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा कि योजनान्तर्गत निर्गत राज्यांश के सापेक्ष अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित मदों में ही किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

6. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. प्रश्नगत राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने से पूर्व विभाग द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं संगत शासनादेश दिनांक 08.11.2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2402001028907 (नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत	04 यात्रा व्यय	50,000 (रुपये पचास हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		परमपरागत कृषि विकास योजना		
2	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	08 कार्यालय व्यय	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
3	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,50,000 (रुपये तीन लाख पचास हजार मात्र)
4	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6,22,000 (रुपये छह लाख बाईस हजार मात्र)
5	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	27 सब्सिडी	8,41,42,000 (रुपये आठ करोड़ इकतालीस लाख बयालीस हजार मात्र)
6	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	42 अन्य व्यय	3,61,41,800 (रुपये तीन करोड़ इकसठ लाख इकतालीस हजार आठ सौ मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	71,76,500 (रुपये इकहत्तर लाख छिहत्तर हजार पांच सौ मात्र)
8	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	90,000 (रुपये नव्वे हजार मात्र)
9	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6,10,000 (रुपये छह लाख दस हजार मात्र)
10	011	2402001028907 नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अन्तर्गत परमपरागत कृषि विकास योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	4,70,000 (रुपये चार लाख सत्तर हजार मात्र)
	कुल			**13,00,02,300** **(रुपये तेरह करोड़ दो हजार तीन सौ मात्र)**
महायोग				13,00,02,300 (रुपये तेरह करोड़ दो हजार तीन सौ मात्र)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-256-X-2022-23- दिनांक: 29-11-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव,

संख्या-87/2022/ 817/2255442(1)/12-5002(003)/2/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग/समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
7. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
9. अपर कृषि निदेशक, (सामान्य/भूमि संरक्षण), कृषि भवन, लखनऊ।
10. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
शत्रुन्जय कुमार सिंह
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।